

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला - दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

.....संख्या..... बनाम.....के. ला. 21.....

मु.नं.- 111/24

किस्म - दावा

11.12.25 अग्रिम आवकों द्वारा न्यायिक कार्य का चयन रखा गया, जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। फ़ावली पुर्वानुसार दिनांक 20.01.26 को पेश हो।

20.01.26 फ़ावली पेशा हुई परकारान की धर - 2 भावाज डिलवाई गई। उक्त पदा अनुपस्थित फ़ावली लम्बे समय से तलबी में लैपिन है। वादीगण को धर - 2 निर्देशों के बावजूद भी कम्प वादीगण द्वारा प्रतिवादी से 24 की तारीखे पेशा नहीं की गई एवं निर्देशों की अपहेलना की गई वससे स्पष्ट है कि वादीगण फ़ावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए फ़ावली परकारान की अदम राजवी व अदम पेशदी में खारिज की जाती है। फ़ावली फ़ैसल शुमार देखर बाखिल इफ़्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)